



संख्या- 16/2026/001-305-81-4-26

प्रेषक,
नीरजा सकसेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "गोरखपुर में चिडियाघर की स्थापना" योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० के पत्र संख्या-पी०-585/36-टी-46(गो० चि०) दिनांक 10.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में "गोरखपुर में चिडियाघर की स्थापना" योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि ₹ 1000.00 लाख के सापेक्ष ₹ 522.92 लाख (पांच करोड़ बाइस लाख बानबे हजार) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल एवं प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्यवता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं०-सी०ए० 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं०-सी०ए० 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

3- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० के पत्र दिनांक 10.02.2026 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

7- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वगयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति/स्थलीय निरीक्षण (भौतिक सत्यापन) रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा ।

9- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई- टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी०ई०एम० पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जाय।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकताएँ एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन एवं बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगे।

11- प्रश्रुत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्यमद में किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विभागाध्यक्ष की होगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

12- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्रुत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-2031/2025 दिनांक 27.03.2025 में निहित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष विषयगत योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,22,92,000 (रुपये पाँच करोड़ बाईस लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 060 लेखा शीर्षक 4406021110900** गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव

संख्या- 16(1)/2026/001-305-81-4-26, तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं०-2, आडिट भवन, टी०सी०-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- 4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
7. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव